सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0(भारत)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक— 1043 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2025 दिनांक—22—11—2025

सेवामें,

1. **अधिष्ठाता, समस्त संकाय**
2. **प्राचार्य / प्रचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।**

विषय :— प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29—10—2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 31—10—2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक— डिग्री विकास / 2212 / 2025—26 दिनांक 18—11—2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या—2882 / सत्तर—3—2025 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के क्रम में प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता मे दिनांक 29—10—2025 में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 31—10—2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाने की अपेक्षा की गयी है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के क्रम में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना सुनिश्चित करें, जिससे कृत कार्यवाही की सूचना शासन को ससमय ई—मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक— यथोपरि।

22/11/25

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— 1043 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

ससमयता/ई-मेल

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0 प्र0,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश

2-कुल सचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: डिग्री विकास / 2212 / 2025-26 दिनांक : 18 / 11 / 2025

विषय: प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29-10-2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 31-10-2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-2882/सत्तर-3-2025 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29-10-2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 31-10-2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-I/1128922/2025/65-3-3099/73/2023 दिनांक 31- 10-2025 के कार्यवृत्त के मांग बिन्दु-10 से सम्बन्धित बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय की ई-मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त

भवदीय

18/11/25

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते-शिक्षा निदेशक (उ0 शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन सं0-डिग्री विकास/ 2212-14 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(2) अपर सचिव उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों को उक्त सूचना प्रसारित करते हुए कृत कार्यवाही की समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते-शिक्षा निदेशक (उ0 शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

o/c

Scanned with OKEN Scanner

समयबद्ध

संख्या- 2882 /सत्तर-3-2025

प्रेषक,

जयवन्त,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 नवम्बर, 2025

विषय- **प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.10. 2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 31.10.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या--I/1128922/2025/65-3-3099/73/2023, दिनांक 31.10.2025 (छायाप्रति संलग्न)जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, उ0प्र0 के प्रतिनिधियों की मांगो पर विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ,उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29-10-2025 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त है का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवृत्त दिनांक 31-10-2025 में अपने से संबंधित बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही की सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा,उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally Signed by
JA (जयवन्त)
अनु सचिव।
Date: 17-11-2025
14:24:29

Scanned with OKEN Scanner

सं0-2882/70-3-2025

राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, उ0प्र0 के प्रतिनिधियों की मांगों पर विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक **29.10.2025** को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधिकारियों एवं संघ के निम्नलिखित प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिनकी उपस्थिति निम्नवत है:-

1. श्री अमरनाथ उपाध्याय, विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री राकेश कुमार यादव, उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अनुभाग अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4. श्री कफिल आलम, प्रतिनिधि, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, उ0प्र0।
5. श्री राम प्रकाश भदौरिया, महासचिव, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, उ0प्र0।
6. श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सचिव, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, उ0प्र0।
7. श्री रामजी निषाद, कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, उ0प्र0।
8. श्री सुरेश कुमार, कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, उ0प्र0।
9. श्री कान्त त्रिपाठी, कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, उ0प्र0।

2. उक्त बैठक में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, उ0प्र0 के प्रतिनिधियों द्वारा अपना 13 सूत्रीय मांग पत्र दिनांकित 27.10.2025 प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त बैठक में प्रस्तुत उक्त 13 सूत्रीय मांग पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं व संघ द्वारा की गयी अन्य मांगों पर विचार-विमर्श के उपरान्त बिन्दुवार स्थिति निम्नवत प्रकाश में आयी:-

मांग बिन्दु-1

यह कि रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्गत शासनादेश संख्या-ई(एनजी)I-2015/सीएनटी/7 दिनांक 11.11.2022 में वर्णित दृष्टिबाधित दिव्यांगजन जो अन्यथा अर्हता है, जो सक्षम चिकित्सा बोर्ड से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह शारीरिक विकलांगता के कारण टंकण में समर्थ नहीं हैं, को सुसे प्रकार से भर्ती के लिये टंकण परीक्षा करने में छूट है। चिकित्सा बोर्ड से यह प्रमाण पत्र संलग्न है। इसके अनुपालन हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों को कार्मिक विभाग से टाईपिंग से छूट सम्बन्धी शासनादेश जारी कराने हेतु सादर निवेदन किया गया है। उक्त के साथ ही बैठक में संघ के पदाधिकारियों द्वारा श्री रामजी निषाद, कुर्सी बुनकर, सचिवालय प्रशासन विभाग की पदोन्नति सचिवालय में पूछताछ लिपिक एवं मुख्य सहायक के पद पर कराये जाने हेतु टंकण इत्यादि अर्हता में छूट दिलाये जाने की मांग की गयी।

उक्त बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त यह स्थिति प्रकाश में आयी कि लिपिक पद पर पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी है, जिसमें लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती/प्रोन्नति हेतु अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं। अतएव संघ की मांग के संदर्भ में लिपिक वर्गीय पदों पर प्रोन्नति हेतु अर्हता के रूप में टंकण परीक्षा से दिव्यांगजनों को छूट दिये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही कार्मिक विभाग से अपेक्षित है।

अतएव निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, उ0प्र0 के मांग पत्र के उक्त बिन्दु पर अग्रेतर कार्यवाही/विचार किये जाने हेतु कार्मिक विभाग से अनुरोध किया जाय साथ ही श्री रामजी निषाद, कुर्सी बुनकर, सचिवालय प्रशासन विभाग की पदोन्नति के प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग से भी अनुरोध कर लिया जाय।

(कार्यवाही-कार्मिक विभाग/सचिवालय प्रशासन विभाग)

मांग बिन्दु-2

यह कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केन्द्र सरकार के समान दृष्टि दिव्यांग कर्मचारियों को दिव्यांग वाहन भत्ता सामान्य लोगों के अनुसार दोगुना किया जाना चाहिये।

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त यह स्थिति प्रकाश में आयी कि उक्त बिन्दु/मांग पर अग्रेतर कार्यवाही वित्त विभाग के स्तर से अपेक्षित है। अतएव बैठक में निर्देशित किया गया कि संघ की उक्त मांग के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु वित्त विभाग से अनुरोध कर लिया जाय।

सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

यह कि संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 दिनांक 19 नवम्बर 2019 को निर्गत रिट याचिका सं०- (सिविल) संख्या-116/1998 जस्टिस सुनन्दा भण्डारे फाउन्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2019 का शिकायत प्रतितोष अधिकारी नामित कर अनुपालन कराया जाये।

उक्त मांग के संबंध में बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालयों में दिव्यांगजन की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-143/65-1-2018-119/2018 दिनांक 24.12.2018 द्वारा विभिन्न विभागों में शिकायत प्रतितोष अधिकारी नामित किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। बैठक में निर्देश प्राप्त हुये कि संघ की मांग के क्रम में संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन विभाग में उक्त आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु पुनः अनुस्मारक पत्र निर्गत किया जाय।

(कार्यवाही-दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1)

<u>मांग बिन्दु-9</u>

यह कि उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों में यह व्यवस्था की जाये कि जो दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्तुत करते हैं उनको नजदीकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां से बिना प्रतिशत दिये हुये उनका दावा पास करवाकर 90 दिन के अन्दर भुगतान करवाने का आदेश समस्त विभागों को दिया जाये। क्योंकि 10 प्रतिशत की कटौती किये बिना उनका दावा सी०एम०ओ० कार्यालय द्वारा पास नही किया जाता है।

उक्त बैठक में निर्देशित किया गया कि दिव्यांग कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु समय से निष्पादित किये जाने हेतु चिकित्सा विभाग से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध कर लिया जायं।

(कार्यवाही-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

<u>मांग बिन्दु-10</u>

यह कि संघ के संज्ञान में आया है कि संस्थागत (प्राइवेट) विद्यालयों में दृष्टि दिव्यांग कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा हेतु 50 प्रतिशत फीस मुक्त रखते हुये शिक्षा दिलाने हेतु समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं सम्पूर्ण प्रदेश के प्राइवेट विद्यालयों को यह आदेश निर्गत करें कि दृष्टि दिव्यांग कर्मचारियों के बच्चों के हित के लिये शिक्षा में अनुदान के तहत बेरोजगार एवं स्वरोजगार दृष्टि दिव्यांगजनों के बच्चों की शिक्षा सहयोग प्रदान करें। ऐसा आदेश सुनिश्चित करें कि जिससे दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के बच्चे शिक्षा से वंचित न हो सकें।

बैठक में निर्देशित किया गया कि संघ द्वारा की गयी उक्त मांग के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध कर लिया जाये।

(कार्यवाही- बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग)

<u>मांग बिन्दु-11</u>

यह कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त हुये खाली पदों पर संविदा/आउटसोर्सिंग पर नियुक्त किया जाये और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया जाये। जिससे बेरोजगार दिव्यांगजन अपना जीवन-यापन सुचारु रूप से चला सके।

उक्त मांग के संबंध में बैठक में विचार-विमर्श में यह स्थिति प्रकाश में आयी कि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में आउट सोर्सिंग से कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में शासनादेश सं0-3/2025/205/बीस-13-वि0-2025, दिनांक 19.09.2025 द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करते हुए प्रक्रिया, अर्हता, सेवा शर्तें इत्यादि निर्धारित की गयी हैं।

अतएव आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियों में दिव्यांगजनों को भी पात्र/सेवा लाभ दिये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग से अनुरोध किये जाने की अपेक्षा की गयी।

(कार्यवाही-सचिवालय प्रशासन विभाग)

<u>मांग बिन्दु-12</u>

यह कि दृष्टि दिव्यांगजनों को विद्युत बिल से 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाये, ऐसी व्यवस्था करवाने की कृपा करें।

बैठक में संघ की उक्त मांग पर नियमानुसार विचार किये जाने हेतु ऊर्जा विभाग से अनुरोध किये जाने की अपेक्षा की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner